Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2015
(18 अग्रहायण, 1937 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	1. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015(2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8)	83
	2. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015(2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9)	84
	3. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संषोधन अधिनियम, 2015(2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11)	85
	4. हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) संषोधन अधिनियम, 2015 (2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12)	86
	5. हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2015(2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13)	87
	6. हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 14)	88–89
	7. हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015(2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15)	90–93
	8. हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16)	94
	9. भारतीय दण्ड संहिता (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 2014(2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18)	95
	10. दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 2014(2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19)	96
	11. हरियाणा गोवंष संरक्षण तथा गोसंवर्धन अधिनियम, 2015(2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20)	97–101
	(केवल हिन्दी में)	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग– III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

Price : Rs. 5.00

भाग-I

gfj;k.kk ljdkj

विधि तथा विधायी विभाग

vf/klpuk

दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

संख्या लैज. 15@2015-& दि हरियाणा पॅन्चाइअॅटी राज (अॅमेंन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2015, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 नवम्बर, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 में,– 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 175 का संशोधन।

I. खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(कक) किसी आपराधिक मामले में कारावास, जो दस वर्ष से कम न हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं किया गया है, किन्तु आरोप लगाए गए हों ; या'';

II. खण्ड (ध) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

''(न) किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के उसकी ओर किसी प्रकार के देय के किन्हीं बकायों का भुगतान करने में असफल रहता है ; या

(प) बिजली बिलों के बकायों का भुगतान करने में असफल रहता है ; या

(फ) किसी मान्यताप्राप्त संस्था/ बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास न की हो :

परन्तु किसी महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित किसी उम्मीदवार की दशा में, न्यूनतम योग्यता मिडल पास होगी :

परन्तु यह और कि पंच के पद के लिए निर्वाचन लड़ रही अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में, न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास होगी ; या

(ब) इस आशय की स्वतः घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है कि उसके अपने निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है ।''।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

gfj;k.kk ljdkj

विधि तथा विधायी विभाग

vf/klpuk

दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

संख्या लैज. 16@2015-& दि हरियाणा म्यूनिसिपॅल कॉःपॅरेषन (अॅमे'न्डमेन्ट) ऐक्ट, 2015, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 नवम्बर, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,

को आगे संशोधित

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है ।

(2) यह 28 नवम्बर, 2014 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 45 का संशोधन।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, की धारा 45 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपयुक्त अधिकारी को, निगम आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी।''।

निरसन तथा व्यावृत्तियां।

3. (1) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

संख्या लैज. 18/2015-& दि हरियाणा ले'जिस–लॅ–टिव ॲसे'मब्लि (ॲ–लाउ'ॲन्सिज ऐण्ड पे'नशन ऑव मे'म–बॅज) ॲमे'न्डमेन्ट ऐक्ट, 2015, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 नवम्बर, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2015

हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2015 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 3घ में, ''दस हजार रुपये'' शब्दों के स्थान पर, ''पन्द्रह हजार रुपये'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3घ का संषोधन।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

संख्या लैज. 19/2015.– दि हरियाणा लेजिसलॅटिव अॅसेमब्लि (फ़ॅसिल्–इटिज़ टु मेम्बरज) (अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2015, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 नवम्बर, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12

हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2015
हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) अधिनियम, 1979,
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) संशोधन अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

1979 के हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 3का संषोधन।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य–सुविधा) अधिनियम, 1979, की धारा 3 में,–

(i) खण्ड (क) में, उपखण्ड (i) में, "चालीस लाख रुपये" शब्दों के स्थान पर, "साठ लाख रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खण्ड (ख) में, "दस लाख रुपये" शब्दों के स्थान पर, "बीस लाख रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) द्वितीय परन्तुक में, "पचास लाख रुपये" शब्दों के स्थान पर, "अस्सी लाख रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

संख्या लैज. 20@2015-& दि हरियाणा लोकायुक्त (ॲमे'न्डमेन्ट) ऐक्ट, 2015, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 नवम्बर, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13

हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2015
हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002, को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 6 की उप–धारा (5) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:– 2003 का हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 6 का संशोधन।

''(6) लोकायुक्त को लोकायुक्त के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में यथा लागू दरों पर अतिरिक्त पेंशन तथा पेंशनरी लाभों का भुगतान किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, यदि उसकी अवधि किसी विशिष्ट कलैण्डर वर्ष में छह मास से अधिक है, तो यह ऐसे पेंशनरी लाभों के परिकलन के प्रयोजन के लिए एक वर्ष के रूप में गिनी जाएगी :

परन्तु यदि कोई लोकायुक्त पद से हटाया गया है, तो वह किसी पेंशन के लिए हकदार नहीं होगा।''।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

संख्या लैज. 21/2015.– दि हरियाणा रेजिसट्रेशॅन ऐन्ड रेग्युलेशॅन ऑव सॅसाइटिज (ॲमे'न्डमेन्ट) ऐक्ट, 2015, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 नवम्बर, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 14

हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015
हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1- यह अधिनियम हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 2 का संषोधन।

2- हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (iii) में, ''तीन सौ'', शब्दों के स्थान पर, ''एक हजार'', शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 30 का संषोधन।

3- मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1) एक हजार से अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली सोसाइटी, जब तक यह धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) तथा धारा 51 की उपधारा (2) के अनुसार दो या इससे अधिक सोसाइटियों में विभाजित नहीं हो जाती है या इसकी सदस्यता का पुनः अवधारण तथा पुनरीक्षण नहीं किया जाता है, इसकी उप–विधियों के अनुसार कम से कम इक्कीस तथा अधिक से अधिक तीन सौ सदस्यों से मिलकर बनने वाले कॉलिजियम का गठन करेगी। इस मामले में कॉलिजियम की स्थिति हर प्रकार से उसी रूप में होगी जो एक हजार से अन्धिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली किसी सोसाइटी के सामान्य निकाय का रूप है।''।

2012 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 32 का संषोधन।

4- मूल अधिनियम की धारा 32 में,–

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1) जहां अधिनियम के लागू होने से पूर्व एक हजार से अधिक सदस्यों से मिलकर बनी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है, वहां यह निम्नलिखित के संबंध में शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए नियत तिथि से कम से कम छह मास पूर्व विशेष संकल्प के माध्यम से विचार करने तथा निर्णय करने के लिए अपने सदस्यों की बैठक बुलाएगी,–

(i) सदस्यों की वर्तमान संख्या को बनाए रखने ; या

(ii) सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान या विशेष अतिरिक्त प्रभारों सहित पुनरीक्षित मापदण्ड के भोगाधिकार द्वारा सामान्य निकाय के सदस्यों की संख्या पुनः अवधारित करने :

परन्तु यदि किसी ऐसे पुनरीक्षित मापदण्ड चुनने वाले सदस्यों की संख्या एक हजार से अधिक है, तो सदस्यता ड्रा ऑफ लाट्स द्वारा विनिश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि सदस्यता के पुनः अवधारण पर, सदस्यों की संख्या एक हजार या इससे कम तक सीमित है, तो वह सोसाइटी का सामान्य निकाय गठित करेगी।'';

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(3) जहां उपधारा (1) के खण्ड (i) अथवा (ii) के अधीन सोसाइटी की सदस्यता एक हजार से अधिक है, तो शासकीय निकाय कॉलिजियम के निर्वाचन को करवाने के लिए नियमों, जो विहित किए जाएं, के अनुसार निर्वाचकगण के अवधारण की स्कीम तैयार करेगा तथा उसे इसकी उपविधियों के परिणामिक संशोधन सहित विशेष संकल्प के रूप में इसके सदस्यों के पुनर्विचार के लिए रखेगा।''।

निरसन तथा व्यावृत्तियां।

5- (1) हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

संख्या लैज. 22@2015-& दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स (सेकॅन्ड अॅमे'न्डमेन्ट) ऐक्ट, 2015 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 नवम्बर, 2015, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003,

को आगे संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 की उपधारा (1) में,–

I. खण्ड (ण) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(णण) ''इलैक्ट्रोनिक शासन'' से अभिप्राय है, निम्नलिखित के लिए इलैक्ट्रोनिक माध्यम का प्रयोग करना,–

(i) कोई प्ररूप, विवरणी, अनुलग्नक, आवेदन, घोषणा, प्रमाण–पत्र, अपील का ज्ञापन, संसूचना, सूचना या कोई अन्य दस्तावेज दायर करना ;

(ii) रिकार्ड का सृजन, धारण या परिरक्षण ;

(iii) कोई प्ररूप जारी अथवा प्रदान करना इसमें वैधानिक घोषणा प्ररूप, आदेश, नोटिस, संसूचना, सूचना या प्रमाण–पत्र भी शामिल हैं; तथा

(iv) सरकारी खजाने या सरकारी खजाने द्वारा प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से कर, ब्याज, शास्ति या कोई अन्य भुगतान या उनकी वापसी की रसीद;';

II. खण्ड (ब) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(ब) ''निवेश कर'' से अभिप्राय है, किसी वैट व्यवहारी को विक्रय किए गए माल के सम्बन्ध में राज्य को वास्तविक रूप में भुगतान की गई कर की राशि, जिसका ऐसे व्यवहारी को उस द्वारा धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार परिकलित कर के वास्तविक भुगतान के रूप में क्रेडिट अनुमत किया गया है ;'।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 8 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''8. निवेश कर का अवधारण.– (1) किसी वैट व्यवहारी द्वारा खरीदे गए किसी माल के संबंध में निवेश कर, उसको ऐसे माल के विक्रय पर राज्य को वास्तविक रूप में भुगतान की गई कर की राशि होगी तथा किसी व्यवहारी की दशा में, जो धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान के लिए दायी है अथवा, जैसी भी स्थिति हो, धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन समय पर पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, इसमें उस दिन जिसको वह कर भुगतान के लिए दायी हो जाता है, उस द्वारा स्टाक में रखे गए माल (पूंजी माल के सिवाय) के संबंध में इस अधिनियम तथा 1973 के अधिनियम के अधीन भुगतान किया गया कर भी शामिल है, किन्तु अनुसूची ङ में विनिर्दिष्ट माल ऐसे माल के विरुद्ध वर्णित परिस्थितियों में प्रयुक्त या व्ययन के संबंध में वास्तविक रूप में भुगतान किया गया कर शामिल नहीं होगा :

परन्तु जहां राज्य में खरीदा गया माल अनुसूची ङ में वर्णित परिस्थितियों में भागतः तथा अन्यथा भागतः प्रयुक्त या व्ययन किया जाता है, तो ऐसे माल के संबंध में निवेश कर अनुपात में संगणित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि राज्य में खरीदे गए किसी माल के संबंध में निवेश कर प्राप्त कर लिया गया है किन्तु ऐसे माल अनुसूची ङ में वर्णित परिस्थितियों में बाद में प्रयुक्त या व्ययन किए गए हैं, तो ऐसे माल के संबंध में निवेश कर प्रतिवर्तित किया जाएगा।

(2) बीजक माल के विक्रय पर वैट व्यवहारी से प्रभारित कर दर्शाते हुए उसको जारी किया गया कर बीजक उपधारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए ऐसे माल पर भुगतान किए गए कर का सबूत होगा।

(3) जहां किसी व्यवहारी को विक्रय किए गए किसी माल के संबंध में निवेश कर का कोई दावा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में प्रश्नगत किया जाता है, तो ऐसी कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी से माल के विक्रय के संबंध में विक्रेता व्यवहारी द्वारा उसको जारी किए गए कर बीजक के अतिरिक्त, विक्रेता व्यवहारी द्वारा विहित प्ररूप तथा रीति में उसे दिए गए प्रमाण–पत्र को अपने सम्मुख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है तथा ऐसा प्राधिकारी दावे को केवल तभी अनुज्ञात करेगा यदि ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे, करने के बाद, उसकी सन्तुष्टि हो गई है कि उसके सम्मुख प्रस्तुत किए गए प्रमाण–पत्र में दिए गए ब्यौरे सत्य तथा सही हैं तथा राज्य में किसी माल की खरीद पर निवेश कर की राशि किसी भी दशा में इस अधिनियम के अधीन उसी माल के सम्बन्ध में सरकारी खजाने में वास्तविक रूप में भुगतान की गई कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

(4) राज्य सरकार, समय–समय पर, निवेश कर की संगणना के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत नियम बना सकती है तथा जब ऐसे नियम बनाए जाते हैं, तो कोई भी निवेश कर ऐसे नियमों की समनुरूपता के बिना संगणित नहीं किया जाएगा।''।

4- मूल अधिनियम की धारा 15क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 15क का प्रतिस्थापन।

''15क. अनन्तिम निर्धारण.– यदि निर्धारण प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विश्वास करने का कारण रखता है कि किसी व्यवहारी ने इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का अपवंचन अथवा परिहार किया है, तो वह व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, चालू वित्त वर्ष की किसी अवधि हेतु तथा अभिज्ञान की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर किसी भी समय, अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से अनन्तिम आधार पर ऐसे किसी व्यवहारी का कराधेय आवर्त अवधारित कर सकता है तथा तद्नुसार कर के लिए उसका निर्धारण कर सकता है। इस प्रकार निर्धारित की गई कर राशि धारा 22 के उपबन्धों के अनुसार व्यवहारी द्वारा भुगतानयोग्य होगी। इस धारा के अधीन जमा करवाया गया प्रत्येक कर धारा 15 के अधीन किए गए निर्धारण में व्यवहारी के दायित्व के विरुद्ध समायोज्य होगा।''।

5- मूल अधिनियम की धारा 16 में,– 2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 16 का संशोधन।

(i) ''तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''छह वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा

(ii) व्याख्या में, ''हो गया है'' शब्दों के स्थान पर, ''किया गया है'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6- मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 17 का प्रतिस्थापन।

''17. यदि निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी निश्चित जानकारी के परिणामस्वरूप जो उसके कब्जे में आ गई है, उसे पता चलता है कि किसी वर्ष में किसी व्यवहारी के कारबार का आवर्त निर्धारणाधीन हो गया है या निर्धारण से छूट गया है या निवेश कर या वापसी अधिक अनुज्ञात हो गई है, तो वह उस वर्ष की समाप्ति के आगामी आठ वर्ष की समाप्ति से पूर्व या अन्तिम निर्धारण आदेश की तिथि से तीन वर्ष के भीतर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, विहित रीति में, व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, उस वर्ष के लिए जिसके लिए पुनर्निर्धारण प्रस्तावित किया गया है, व्यवहारी के कर दायित्व को पुनर्निर्धारित कर सकता है तथा

पुनर्निर्धारण के प्रयोजन के लिए, निर्धारण प्राधिकारी, यदि व्यवहारी पुनर्निर्धारण के प्रयोजन के लिए उसे जारी किए गए नोटिस के निबन्धनों की अनुपालना करने में असफल रहता है, तो उसे अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से पुनर्निर्धारण की शक्ति होगी।''।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 34 का संशोधन।

7- मूल अधिनियम की धारा 34 की उप–धारा (1) के द्वितीय परन्तुक में, ''तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''छह वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 में अध्याय Xक रखना।

8- मूल अधिनियम के अध्याय X के बाद, निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात्:–

''v/;k;–xd

इलैक्ट्रोनिक शासन

''**54क. इलैक्ट्रोनिक शासन का लागूकरण**.– (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, राज्य सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए इलैक्ट्रोनिक शासन लागू कर सकता है।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन आदेश पारित किया गया है, तो आयुक्त, विवरणियों, आवेदनों, घोषणाओं, अनुलग्नकों, अपील का ज्ञापन, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज के लिए प्ररूपों को संशोधित या प्रवर्तित कर सकता है जो इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं।

(3) आयुक्त, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इलैक्ट्रोनिक शासन के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित अवधि बढ़ा या घटा सकता है।

54ख. स्वचलीकरण.– (1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा दिए गए निर्देशों में दिए गए उपबन्ध, इसमें डिजिटल हस्ताक्षरों, इलैक्ट्रोनिक शासन, आरोपण, अभिस्वीकृति तथा इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड के प्रेषण, सुरक्षित इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड, सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षरों तथा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्रों से सम्बन्धित उपबन्ध भी शामिल हैं, इलैक्ट्रोनिक शासन के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रकिया को लागू होंगे।

(2) जहां किसी व्यवहारी की कोई विवरणी, अनुलग्नक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, दस्तावेज, आवेदन, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा प्ररूप, प्रमाण–पत्र, संसूचना या सूचना भी शामिल है, कार्यालय वैब साईट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप से प्राप्त किया गया है, तो ऐसी विवरणी, अनुलग्नक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, दस्तावेज, आवेदन, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा प्ररूप, प्रमाण–पत्र, संसूचना या सूचना भी शामिल है, ऐसे व्यवहारी द्वारा उसकी सहमति से प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा।

(3) जहां पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आदेश, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा, प्रमाण–पत्र, नोटिस या संसूचना भी शामिल है, किसी स्वचलित डॉटा संसाधन प्रणाली पर तैयार किया गया है और किसी व्यवहारी को भेजा गया है, तो उक्त पंजीकरण का प्रमाण–पत्र, आदेश, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा, प्रमाण–पत्र, नोटिस या संसूचना भी शामिल है, आयुक्त या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा पंजीकरण का प्रमाण–पत्र, आदेश, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा, प्रमाण–पत्र, नोटिस या संसूचना भी शामिल है, केवल इस आधार पर अवैध नहीं समझा जाएगा कि यह आयुक्त या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 60 का संशोधन।

9- मूल अधिनियम की धारा 60 में, ''वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम'', शब्दों के स्थान पर, ''कार्यालय वैबसाईट'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10- (1) हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

संख्या लैज. 23@2015-& दि हरियाणा गुड कन्डक्ट प्रिजनरस (टेमपररि रिलीज) ॲमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2015, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 नवम्बर, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 16

हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2015

हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई)
अधिनियम, 1988, को आगे संशोधित
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1- यह अधिनियम हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

1988 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 5क का संशोधन।

2. हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 5क की उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(2) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सिद्धदोष कट्टर बंदी जो मृत्यु शास्ति से दण्डित नहीं किया गया है, केवल अस्थाई रिहाई या फरलो के लिए हकदार होगा, यदि उसने अपनी पांच वर्ष की कारावास पूर्ण कर ली है तथा सम्बद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायिक रूप से मुल्यांकित, जेल अधीक्षक द्वारा किसी बड़े दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है :

परन्तु पांच वर्ष की कारावास अवधि में पांच वर्ष की कारावास की गणना करते समय दो वर्ष से अधिक की विचारण अवधि के दौरान की कारावास शामिल नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि इस उप–धारा के अधीन इस प्रकार रिहा किया गया बंदी अस्थाई रिहाई या फरलो की किसी शर्त की उल्लंघना करता है, तो वह भविष्य में ऐसी रिहाई से विवर्जित हो जाएगा।''।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

संख्या लैज. 25/2015.– दि इंडियन पीनॅल कोड (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2014 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 नवम्बर, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18

भारतीय दण्ड संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014

भारतीय दण्ड संहिता, 1860, हरियाणा राज्यार्थ,

को आगे संशोधित

करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1- यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

1860 के केन्द्रीय अधिनियम 45 में धारा 379क तथा 379ख का रखा जाना।

2- भारतीय दण्ड संहिता, 1860, हरियाणा राज्यार्थ, में धारा 379 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :–

379d- Nhuuk-& (1) जो कोई चोरी करने के आशय से किसी चल सम्पत्ति को किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से अचानक झपटता है या तेजी से दबाता है या बलपूर्वक छीनता है या ले जाता है और ऐसी सम्पत्ति सहित भागता है या भागने का प्रयास करता है, तो उक्त को छीनना कहा जाता है।

(2) जो कोई छीनने का कार्य करता है, तो वह ऐसी अवधि जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कठोर कारावास से दण्डनीय होगा और पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने का भी दायी होगा।

379[k- migfr] lnk"k vojk/k ;k migfr d Mj lfgr Nhuuk-& जो कोई छीनने के क्रम में, या छीनने के कार्य में, उपहति या सदोष अवरोध या उपहति का डर दिखाता है; या छीनने का अपराध करने के बाद, अपने बचाव में उपहति या सदोष अवरोध या उपहति का डर दिखाता है, तो वह ऐसे कठोर कारावास जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो चौदह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा और पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने का भी दायी होगा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

संख्या लैज. 26/2015.– दि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसीजर (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2014 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 नवम्बर, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के अधीन उक्त अधिनियम, का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19

दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, हरियाणा राज्यार्थ,
को आगे संशोधित
करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1- यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है ।

1974 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की प्रथम अनुसूची का संशोधन ।

2- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, हरियाणा राज्यार्थ, में प्रथम अनुसूची में, तालिका में, धारा 379 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3	4	5	6
''379क.	छीनना	अवधि जो पांच वर्ष से कम नही होगी किन्तु जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कठोर कारावास तथा 25,000/– रुपये का जुर्माना ।	संज्ञेय	अजमानतीय	सत्र न्यायालय
''379ख.	उपहति या सदोष अवरोध या उपहति के डर सहित छीनना	अवधि जो दस वर्ष से कम नहीं होगी तथा जो चौदह वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कठोर कारावाय तथा 25,000/– रुपये का जुर्माना ।	यथोपरि	यथोपरि	यथोपरि ''।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 दिसम्बर, 2015

संख्या लैज. 27/2015-& दि हरियाणा गोवंश संरक्षण ऐण्ड गोसंवर्धन ऐक्ट, 2015 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 नवम्बर, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20

हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन अधिनियम, 2015
हरियाणा राज्य में गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन उपलब्ध करवाने हेतु तथा दुर्बल, घायल, घूमन्तु तथा अलाभकर गायों को स्वीकार करने, रखने, रख–रखाव करने तथा देख–रेख करने हेतु संस्थाएं स्थापित करने के लिए

vf/kfu;e

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1- यह अधिनियम हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

परिभाषाएं।

2- इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''गोमांस'' से अभिप्राय है, किसी भी रूप में गाय का मांस इसमें मुहरबन्द डिब्बों में रखा तथा राज्य में आयातित गाय का मांस भी षामिल है ;

(ख) ''गोमांस उत्पाद'' से अभिप्राय है, गोमांस से तैयार किया गया उत्पाद ;

(ग) ''गाय'' से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल है सांड, बैल, वृषभ, बछिया या बछड़ा तथा निःशक्त, बीमार अथवा बांझ गाय ;

(घ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, सम्बद्ध उप–मण्डल मजिस्ट्रेट तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है ;

(ङ) ''विभाग'' से अभिप्राय है, सरकार का पशुपालन विभाग ;

(च) ''निर्यात'' से अभिप्राय है, राज्य से किसी अन्य स्थान पर गाय को बाहर ले जाना ;

(छ) ''गोवंश'' से अभिप्राय है, गाय या इसकी सन्तान ;

(ज) ''गोसंवर्धन'' से अभिप्राय है, देशी गाय की नस्ल का संरक्षण तथा विकास ;

(झ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ञ) ''देशी नस्ल'' से अभिप्राय है, देशी गाय जीवसंख्या जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की नस्ल पंजीकरण समिति द्वारा समय–समय पर नस्ल के रूप में मान्यताप्राप्त है ;

(ट) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(ठ) ''संरक्षण'' से अभिप्राय है, गोवंश की सुरक्षा तथा संरक्षण ;

(ड) ''वध'' से अभिप्राय है, किसी भी ढंग द्वारा, चाहे जो भी हो, हत्या करना और इसमें शामिल है विकलांग करना तथा शारीरिक क्षति की यातना पहुंचाना जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो सकती है ;

(ढ) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य।

गाय वध का प्रतिषेध।

3- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अथवा किसी प्रथा अथवा रूढ़ि में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति राज्य में किसी भी स्थान पर किसी गाय का/ को न तो वध करेगा अथवा न ही वध करवाएगा अथवा वध के लिए न तो पेश करेगा अथवा न ही पेश करवाएगा :

परन्तु दुर्घटना अथवा आत्म प्रतिरक्षा में किसी गाय की मृत्यु हो जाती है, तो इस अधिनियम के अधीन वध के रूप में नहीं समझी जाएगी।

अपवाद।

4- (1) धारा 3 में दी गई कोई भी बात, किसी गाय के वध के लिए लागू नहीं होगी, जहां किसी गाय के लिए क्षेत्र में विभाग के पंजीकृत पशु–चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विहित प्ररूप में प्रमाण–पत्र जारी किया गया है कि,–

(क) जिसकी पीड़ा ऐसी है कि उसका नाश वांछनीय हो गया है; अथवा

(ख) जो किसी ऐसे अधिसूचित सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित है; अथवा

(ग) जो चिकित्सा, पशु–चिकित्सक और जन स्वास्थ्य अनुसंधान के हित में प्रयोग के अध्यधीन है।

(2) जहां उपरोक्त उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट कारणों के लिए किसी गाय का वध आशयित है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रथम उक्त उप–धारा के अधीन यथा वर्णित लिखित में प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।

(3) प्राधिकृत संविदाकार द्वारा, वध की गई गायों से अन्यथा, मृत गायों से चर्म तथा खाल उतारना गाय वध के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा :

परन्तु वध की गई गायों से अन्यथा, मृत गायों से चर्म तथा खाल को उतारने या परिवहन में नियोजित प्राधिकृत संविदाकार सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्राधिकार प्राप्त करेगा।

निर्यात पर प्रतिबन्ध।

5- कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में या जानते हुए कि गाय का वध किया जाएगा या उसके वध किए जाने की सम्भावना है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वध के प्रयोजन के लिए गाय निर्यात नहीं करेगा या निर्यात नहीं करवाएगा।

निर्यात के लिए परमिट।

6- (1) गाय का निर्यात करने का इच्छुक कोई व्यक्ति गऊओं की संख्या तथा राज्य का नाम जिसे ये निर्यात की जानी प्रस्तावित हैं सहित कारण कथित करते हुए जिसके लिए ये निर्यात की जानी प्रस्तावित हैं, इस निमित्त ऐसे अधिकारी को, जिसे सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे, परमिट के लिए आवेदन करेगा। वह घोषणा भी दायर करेगा कि गऊओं, जिनके निर्यात के लिए परमिट अपेक्षित है, का वध नहीं किया जाएगा और परमिट ऐसी रीति में प्राप्त करेगा, जो विहित की जाए।

(2) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, आवेदक के निवेदन की प्रमाणिकता के बारे में अपनी सन्तुष्टि करने के बाद, आवेदन में विनिर्दिष्ट गऊओं के निर्यात हेतु उसको परमिट प्रदान करेगा।

(3) परमिट जारी करने के लिए फीस ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(4) उस राज्य के लिए गऊओं के निर्यात हेतु कोई परमिट जारी नहीं किया जाएगा जहां विधि द्वारा गाय वध प्रतिषिद्ध नहीं है।

विषेष परमिट।

7- (1) सरकार को ऐसे मामलों में गाय के निर्यात के लिए विशेष परमिट जारी करने की शक्ति होगी जहां उसकी राय में ऐसा करना लोक हित में होगा।

(2) विशेष परमिट जारी करने हेतु फीस ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

गोमांस के विक्रय का प्रतिषेध।

8- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति ऐसे औषधीय प्रयोजनों तथा ऐसे रूप में, जो विहित किए जाएं, के सिवाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गोमांस या गोमांस उत्पादों का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय करने या विक्रय करवाने के लिए रखेगा नहीं, भण्डारण नहीं करेगा, परिवहन नहीं करेगा या पेशकश नहीं करेगा।

गोसंवर्धन।

9. सरकार देशी गाय की नस्ल के संरक्षण और उन्नत करने के लिए स्कीम, परियोजना अथवा कार्यक्रम बनाएगी और देशी गायों की नस्ल से प्राप्त दूध या दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन पर प्रोत्साहनों को उपलब्ध करवाएगी।

संस्था की स्थापना।

10- (1) सरकार, अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण, जब सरकार द्वारा ऐसा निर्देश किया जाए, दुर्बल, घायल, घूमन्तु तथा अलाभकर गऊओं को स्वीकार करने, रखने, रख–रखाव करने तथा देख–रेख करने हेतु संस्था स्थापित करेगी/करेगा।

(2) सरकार ऐसी संस्था को पर्याप्त वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाएगी।

फीस के प्रभारों का उद्ग्रहण।

11- राज्य सरकार, अथवा स्थानीय प्राधिकरण, यदि सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाए, संस्था में दुर्बल, घायल, घूमन्तु तथा अलाभकर गऊओं को स्वीकार करने, रखने, रख–रखाव करने तथा देख–रेख करने हेतु ऐसी फीस उद्गृहित कर सकती है/ कर सकता है, जो विहित की जाए।

परीक्षण तथा विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना।

12- (1) सरकार पशुओं की अन्य जातियों के मांस से गोमांस के विभेदीकरण हेतु, दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के विभिन्न संघटकों के परीक्षण तथा पहचान और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के पौष्टिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहनों को उपलब्ध करवाने हेतु क1 और क2 दुग्ध के परीक्षण तथा विभेदीकरण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगी।

0;k[;k -& इस उपधारा के प्रयोजन हेतु, क1 तथा क2 दुग्ध से अभिप्राय है, क्रमशः बीटा–केसीन दुग्ध प्रोटीन के क1 तथा क2 भिन्न आनुवंशिक रखने वाली गऊओं से प्राप्त दुग्ध।

(2) उप–धारा (1) के अधीन स्थापित ऐसी प्रयोगशालाओं की विश्लेषण रिपोर्ट इस अधिनियम के अधीन किसी जांच, विचारण अथवा अन्य कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाएगी।

अपराध।

13- (1) जो कोई भी धारा 3 अथवा 4 के उपबन्धों की उल्लंघना करता है या उल्लंघना का प्रयास करता है या उल्लंघना के लिए अवप्रेरित करता है, तो वह अवधि जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी और जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कठोर कारावास से तथा जुर्माना जो तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा और एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय अपराध का दोषी होगा। जुर्माने के भुगतान की चूक की दशा में, अतिरिक्त कारावास, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के बदले में अधिरोपित किया जाएगा।

(2) जो कोई भी धारा 5 के उपबन्धों की उल्लंघना करता है, या उल्लंघना का प्रयास करता है या उल्लंघना के लिए अवप्रेरित करता है, तो वह अवधि जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी और सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कठोर कारावास से तथा जुर्माना जो तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा और सत्तर हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय अपराध का दोषी होगा। जुर्माने के भुगतान की चूक की दशा में, अतिरिक्त कारावास, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के बदले में अधिरोपित किया जाएगा।

(3) जो कोई भी धारा 8 के उपबन्धों की उल्लंघना करता है, या उल्लंघना का प्रयास करता है या उल्लंघना के लिए अवप्रेरित करता है, तो वह अवधि जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी और जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के कठोर कारावास से तथा जुर्माना जो तीस हजार रुपए से कम नहीं होगा और पचास हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय अपराध का दोषी होगा। जुर्माने के भुगतान की चूक की दशा में, अतिरिक्त कारावास, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के बदले में अधिरोपित किया जाएगा।

सबूत का भार।

14- धारा 13 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के विचारण में, यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि वध की गई गाय धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (क), (ख) अथवा (ग) में विनिर्दिष्ट वर्ग से सम्बन्धित थी।

अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना।

15- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, धारा 13 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।

प्रवेश करने, अभिग्रहण करने इत्यादि की शक्ति।

16- (1) कोई पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित करने की दृष्टि से अथवा अपनी सन्तुष्टि करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है–

(क) गऊओं के निर्यात के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित किसी वाहन में प्रवेश कर सकता है, उसे रोक सकता है और छानबीन कर सकता है;

(ख) ऐसी गाय का, जिसके संबंध में उसे शंका है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है अथवा किया जाने वाला है, ऐसे वाहन सहित जिसमें ऐसी गाय पाई जाती हैं, अभिग्रहण कर सकता है, और उसके बाद इस प्रकार अभिग्रहण की गई गाय को न्यायालय में पेश करने को सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी पेशी के समय सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता है;

(ग) गाय के वध के लिए प्रयोग किए जाने वाले या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकता है तथा छानबीन कर सकता है तथा गाय के वध और निर्यात से सम्बन्धित क्रियाकलापों के बारे में किन्हीं दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकता है;

(2) छानबीन से संबंधित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 100 के उपबन्ध, यथा सम्भव, इस अधिनियम के अधीन छानबीन तथा अभिग्रहण को लागू होंगे।

वाहनों की जब्ती।

17- (1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया जाता है, तो ऐसे अपराध की चूक में प्रयोग किया गया कोई वाहन किसी पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो अथवा सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जब्त किए जाने का दायी होगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की चूक के सम्बन्ध में उप–धारा (1) में निर्दिष्ट कोई वाहन जब्त किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट, इसे जब्त करने वाले व्यक्ति द्वारा अनुचित देरी किए बिना सक्षम प्राधिकारी को की जाएगी और चाहे ऐसे अपराध की चूक के लिए अभियोजन संस्थित किया गया है अथवा नहीं, सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्र जहां उक्त वाहन जब्त किया गया था की अधिकारिता रखने वाला, यदि सन्तुष्ट हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध की चूक के लिए उक्त वाहन प्रयोग किया गया था, तो वह उक्त वाहन को जब्त करने के आदेश कर सकता है :

परन्तु उक्त वाहन को जब्त करने का आदेष करने से पूर्व, उक्त वाहन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(3) जब कभी इस अधिनियम के अधीन अपराध की चूक के सम्बन्ध में उप–धारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई वाहन जब्त किया जाता है, तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकरण के सिवाय, किसी न्यायालय, अभिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण को ऐसे वाहन का कब्जा, सुपुर्दगी, निपटान, छोड़ने के सम्बन्ध में आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(4) जहां सक्षम प्राधिकारी की राय है कि यह लोक हित में समीचीन है कि उप–धारा (1) में यथा निर्दिष्ट, इस अधिनियम के अधीन अपराध की चूक के लिए जब्त किए गए वाहन को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, तो वह इसे बेचने के लिए किसी भी समय निर्देश कर सकता है :

परन्तु जब्त किए गए वाहन को बेचने के लिए ऐसे निर्देश देने से पूर्व, उक्त वाहन के स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) उप–धारा (2) अथवा उप–धारा (4) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सम्बद्ध जिला उपायुक्त को अपील कर सकता है।

(6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया जब्ती का कोई आदेश किसी दण्ड की पीड़ा को नहीं रोकेगा जिससे उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी है।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

18. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

नियम बनाने की शक्ति।

19- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यरूप देने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित का उपबन्ध किया जा सकता है,–

(क) शर्तें तथा परिस्थितियां, जिनके अधीन धारा 4 के अधीन गौ–वध किया जा सकता है ;

(ख) रीति, जिसमें धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन बीमारी अधिसूचित की जाएगी ;

(ग) रीति, जिसमें धारा 4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी ;

(घ) धारा 4 में वर्णित प्रमाण–पत्र का प्ररूप तथा अन्तर्वस्तु तथा उसे प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ;

(ङ) प्ररूप जिसमें परमिट प्रदान किया जाना है तथा धारा 6 तथा 7 के अधीन ऐसा परमिट जारी करने के संबंध में फीस ;

(च) रीति, जिसमें तथा शर्तें जिनके अधीन धारा 8 के अधीन गोमांस अथवा गोमांस उत्पादों का विक्रय किया जाना है ;

(छ) धारा 10 में निर्दिष्ट संस्था की स्थापना, देख–रेख, प्रबन्धन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण से सम्बन्धित मामले ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य, ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(झ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20- (1) पंजाब गौ–वध प्रतिषेध अधिनियम, 1955 (1956 का पंजाब अधिनियम 15), हरियाणा राज्यार्थ, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

(3) उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए हरियाणा गौ–वध प्रतिषेध नियम, 1972, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन नये नियम नहीं बनाए जाते हैं।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

53900—L.R.—H.G.P., Chd.